राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक एफ० 2(3) लागत /1034/698 दिनांक 28/03/11

परिपत्र

व्यावसायिक / वाणिज्यिक भूःखण्डों, आवासों व दुकानों की नीलामी / खुली बिक्री योजना के तहत सम्पत्ति निस्तारण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन के लिए निम्न प्रक्रिया रहेगीः—

1. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ./2/3/लागत/1034/180 दिनांक 14.08.2007 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृत नीलामी प्रक्रिया के अनुसार नीलामी की प्रमाणित पद्धतियॉ —

   (अ) योजना में उपलब्ध नीलामी योग्य सम्पत्ति की मौके पर खुली नीलामी द्वारा बोली लगाकर।

   (ब) एक ही शहर में विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध नीलामी योग्य सम्पत्तियों की मोहरबन्द नीलामी आमंत्रित कर।

   सामान्यतः खुली बोली के माध्यम से सम्पत्ति की नीलामी किए जाने पर उचित मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है। फिर भी एक ही शहर में विभिन्न योजनाओं में अनेकाधिक छोटी दुकानों /प्लॉट/ सम्पत्ति हेतु मोहरबन्द नीलामी प्रस्ताव आमंत्रित किया जाना उचित हो सकता है। अतः विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु प्रेषित प्रस्तावों में इस तथ्य का स्पष्टरूप से वर्णन होना चाहिए कि नीलामी खुली बोली के माध्यम से प्रस्तावित है अथवा मोहरबन्द नीलामी के माध्यम से तथा प्रस्तावों में स्पष्ट कारण इंगित करना चाहिए कि जो प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है वह मण्डल के हित में क्यों सही प्रतीत होती है। सामान्यतः ऐसी सम्पत्ति जिसका न्यूनतम विक्रय मूल्य रु. 1.00 करोड़ से अधिक अनुमानित हो उसे खुली नीलामी द्वारा बोली लगाकर प्रक्रिया प्रस्तावित की जानी चाहिए।

2. व्यावसायिक सम्पत्तियों के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह वर्णन करना आवश्यक है कि वर्तमान में बाजार की क्या स्थिति है तथा जिस न्यूनतम विक्रय मूल्य पर नीलामी प्रस्तुत की गई है उस मूल्य पर वास्तव में सम्पत्ति की नीलामी संभव हो पाएगी।

   खुली बिक्री योजना के अर्न्तगत सामान्यतः पूर्व पंजीकृत आवेदकों को ही आवास आवंटन हेतु अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरण जहां पूर्व पंजीकृत आवेदक अवशिष्ट मकानों को खुली बिक्री योजना के अर्न्तगत लेने में इच्छुक ना हो उनका निस्तारण खुली नीलामी द्वारा बोली लगाकर किया जाना चाहिए।

3. खुली बिक्री योजना के प्रस्ताव तथा सम्पत्ति की नीलामी के प्रस्ताव भेजते समय सम्पत्ति का समस्त विवरण दिया जाना चाहिए कि सम्पत्ति का निर्माण कब किया गया, उसका पूर्व आवंटन / नीलामी की गई अथवा नहीं तथा की गई तो कितनी बार एवं कब—कब।

4. नीलाम की जाने वाली सम्पति के संबंध में नीलामी संबंधी विज्ञप्ति प्रकाशन से पूर्व तथा नीलामी दिनांक से कम से कम दस दिन पूर्व अध्यक्ष, आवासन आयुक्त, मुख्य

अभियन्ता एवं सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को आवश्यक रूप से सूचना दी जावे।

5. न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित होने के बाद जिन सम्पतियों की नीलामी की जानी है उनका वार्षिक कलेण्डर बनाकर एक माह की अवधि में सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के माध्यम से स्वीकृति हेतु आवासन आयुक्त को प्रस्तुत की जावे।

6. समस्त प्रकरण सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के माध्यम से प्रस्तुत किये जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रकरणों की मॉनिटरिंग करेंगे।

7. विज्ञप्ति निर्धारित प्रारूप में ही जारी की जावे (प्रारूप संलग्न)।

8. विज्ञप्ति का प्रारूप प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व जन सम्पर्क प्रकोष्ठ में प्राप्त हो जाना चाहिये।

9. (अ) नीलामी कार्यक्रम सामान्यतः एक माह पूर्व निर्धारित किया जाना चाहिये परन्तु विशेष परिस्थितियों में अध्यक्षजी की अनुमति से 10 दिवस पूर्व भी निर्धारित किया जा सकता है।
   (ब) नीलामी कार्यक्रम अनुमोदित होने पर नीलामी के 10 दिवस पूर्व विज्ञप्ति प्रकाशित होनी चाहिये तथा नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व संक्षिप्त विज्ञप्ति दी जानी चाहिये।
   (स) शहर के सभी भूःखण्डों एवं कालोनियों का नीलामी कार्यक्रम सामान्यतया एक स्थान पर ही आयोजित किया जाना चाहिये। जयपुर शहर में नीलामी में एक बार में एक ही वृत कार्यालय में नीलामी कार्यक्रम रखा जावे इसकी सम्पूर्ण निगरानी मुख्य अभियन्ता स्तर पर वार्षिक कलेण्डर के आधार पर रखी जावे।
   (द) नीलामी विज्ञप्ति के प्रकाशन के समय भूमि एवं भूखण्ड के लिए प्रति वर्ग मीटर एवं निर्मित आवास एवं दुकान के लिए प्रति आवास एवं प्रति दुकान की दर से न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रकाशित किया जावें। नीलामी विज्ञप्ति में भूःखण्ड की माप तथा उसकी स्थिति व पूर्ण विवरण को समाचार पत्रों में दर्शाया जाना चाहिये ताकि संभावित केता द्वारा सम्पत्ति की पहचान की जा सके। नीलामी की सूचना का प्रचार विज्ञापन के विभिन्न निर्धारित माध्यमों से व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिये तथा नीलामी का समय एवं दिनांक का उल्लेख स्पष्ट–रूप से किया जावे।

10. प्रकाशन हेतु प्रेषित विज्ञपित के प्रारूप के साथ प्रेषित पत्र में नीलाम की जाने वाली प्रत्येक सम्पत्ति का न्यूनतम विकय मूल्य तथा विज्ञप्ति में शामिल सभी सम्पत्तियों के न्यूनतम विकय मूल्य का कुल योग भी सूचित किया जाना चाहिये।

11. प्रकाशन प्रस्ताव के साथ नीलामी / खुली बिकी योजना / विशिष्ठ रजिस्ट्रेशन हेतु पत्रावली पर दी गई स्वीकृति की छायाप्रति भी संलग्न होनी चाहिए।

12. ऐसे प्रस्ताव, जिनमें जयपुर जिले की सम्पत्ति का न्यूनतम विकय मूल्य एक करोड़ से अधिक अनुमानित है, के लिए सम्भावित तिथियों का प्रस्ताव दिया जाये जिसका

अंतिम निर्धारण सक्षम स्तर पर किया जावेगा। अन्य जिलों हेतु तिथि का निर्धारण जिला आवंटन समिति के अध्यक्ष – जिला कलेक्टर की सहमति से किया जावे।

13. विज्ञप्ति का प्रारूप अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के माध्यम से जन सम्पर्क प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जावे।

14. खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासों की लागत निर्धारण प्रकिया को वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक बनाया जावे। लागत को अंतिम रूप देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि एक ही आय वर्ग में बड़े माप के प्लॉट पर निर्मित अधिक प्लिंथ एरिया वाले मकानों का मूल्य छोटे माप के प्लॉट पर निर्मित आवास के मूल्य से कम न हो। लागत को अंतिम रूप देने से पूर्व बाजार मूल्य के आधार पर भवन एवं भू:खण्ड के मूल्य का आकलन भी किया जाना चाहिये।

15. नीलामी/ खुली बिक्री योजना की समाप्ति के अगले दिवस निस्तारित सम्पत्तियों का विवरण प्राप्त अधिकतम मूल्य के विवरण–सहित आवासन आयुक्त को फैक्स के जरिये आवश्यक–रूप से प्रेषित किया जावे।

16. अनुमोदन हेतु विस्तृत प्रस्ताव अधिकतम 10 दिवस में अति. मुख्य अभियन्ता को आवश्यक रूप से भिजवा दिया जाय जो अधिकतम 7 दिवस में आवासन आयुक्त को प्रकरण प्रस्तुत करेंगे।

यह परिपत्र इस विषय में जारी पूर्व परिपत्र क्रमांक निसआआ/राआमं/2010/277 दिनांक 4.1.2010, निसआआ/राआमं/2010/369 दिनांक 3.11.2010 एवं निसआआ/राआमं/2010/400 दिनांक 30.11.2010 के अधिक्रमण में जारी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नीलामी से सम्बन्धित जो भी परिपत्र मण्डल द्वारा समय समय पर जारी किये गये है, उनकी अनुपालना भी सुनिश्चित की जावें। भविष्य में उपरोक्तानुसार ही प्रक्रिया अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाय। अवहेलना, समय पर सूचना नहीं भेजने व अपूर्ण व गलत सूचना भेजने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जावेगी।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
2. निजी सचिव – आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मंडल जयपुर।
4. सचिव, रा0आ0मं0, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/ निदेशक (विधि), रा0आ0मं0 जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–I/II/III, (पी. एण्ड एम.), राज. आ. मंडल, जयपुर
7. मुख्य संपदा प्रबन्धक, रा.आ.म., जयपुर।
8. समस्त उप आवासन आयुक्त, राज. आ.म., ...
9. समस्त आवासीय अभियन्ता, राज. आ.म., ...
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी, लागत प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर।
11. जन संपर्क अधिकारी, राज.आ.मण्डल, जयपुर।

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

मोहरबन्द नीलामी के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रारूप

राजस्थान आवासन मण्डल

.... शहर की विभिन्न योजनाओं में
व्यावसायिक भू:खण्डों की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा

भव्य नीलामी

मोहरबन्द प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि	प्राप्त मोहरबन्द प्रस्तावों को खोलने की तिथि
दिनांक .... से .... तक (अपरान्ह .... बजे तक)	दिनांक .... (अपरान्ह .... बजे तक)

क्रं. सं 1.	प्लॉट नं. 2	कॉर्नर / सामान्य 3	प्लाट साईज वर्ग मीटर 4	न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रति वर्ग मीटर 5
1.				
2.				
3.				

मोहरबन्द प्रस्ताव निविदादाता निम्न प्रारूप में आवासन मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें।

राजस्थान आवासन मण्डल,
(निविदा का निर्धारित प्रारूप)

स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित फोटो

निविदादाता का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

पता (प्रमाण संलग्न करें) ....

पेन नम्बर ....दूरभाष नम्बर .... मो. नम्बर ....

योजना का नाम ....सैक्टर .... दुकान / भू:खण्ड संख्या ....

माप ....प्रस्तावित बोली रुपये .... अक्षरे रुपये ....

संलग्न राशि रुपये ....बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक ....

बैंक का नाम ....

हस्ताक्षर निविदादाता

लिफाफे पर लिखा जाने वाला विवरण

भूखण्ड का विवरणः योजना / सेक्टर .... दुकान/ भूखण्ड संख्या ...., निविदादाता का विवरण नाम .... पिता/ पति का नाम .... पता .... दूरभाष नम्बर .... मोबाईल नम्बर .... श्रेणी–सामान्य/ अनुसूचित जाति/ जनजाति .... संलग्न राशि रु .... बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... मुहरबन्द निविदा खोलने की निर्धारित तिथि ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

नीलामी की शर्ते

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता द्वारा 10.00 लाख रूपये तक के न्यूनतम विक्रय मूल्य पर अमानत राशि 10,000/– रूपये अथवा न्यूनतम विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो एवं रूपये 10.00 लाख से अधिक किन्तु 50.00 लाख रूपये तक के विक्रय मूल्य तक 50,000/– रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। 50.00 लाख रूपये से ऊपर एक करोड़ तक के विक्रय मूल्य पर रु. 1.00 लाख रूपये अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। 1.00 करोड़ से ऊपर रु. 5.00 करोड़ तक के न्यूनतम विक्रय मूल्य पर रु. 15.00 लाख तथा रु. 5.00 करोड़ से ऊपर 10.00 करोड़ रुपए के विक्रय मूल्य पर 30.00 लाख रूपये एवं 10.00 करोड़ रूपये से ऊपर न्यूनतम विक्रय मूल्य पर 50.00 लाख रूपये अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। बिना अमानत राशि अथवा अपूर्ण अमानत राशि के प्रस्ताव निरस्तनीय होगे चाहे प्रस्तावित क्रय मूल्य अधिकतम ही क्यों न हो।
2. नीलामी राशि का 05 प्रतिशत मौके पर (अमानत राशि समायोजित करते हुए) 10 प्रतिशत राशि 24 घन्टे में, एक करोड़ से अधिक विक्रय मूल्य होने पर 72 घन्टे में, यदि अगले दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को एवं शेष राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से एक माह में जमा करानी होगी। तीस दिवस की निर्धारित अवधि तक समस्त बकाया राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में बोली की 15 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जायेगी एवं बोली निरस्तनीय होगी।
3. निर्धारित अवधि के बाद मुहरबन्द प्रस्ताव स्वीकार्य नही होगें।
4. सशर्त विक्रय प्रस्ताव सीधे ही निरस्त समझे जायेगें।
5. प्रस्तावकर्ता द्वारा दिये प्रस्ताव में अंकों व शब्दों में भरी राशि में अन्त होने पर शब्दों में लिखि राशि मान्य होगी।

6. किसी भी मोहरबंद प्रस्ताव/ सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताये स्वीकृति/ अस्वीकृति करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है। इस संबंध में कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
7. दुकान/ भूःखण्ड जहां है जैसा है आधार पर निस्तारित किए जावेगें।
8. भूःखण्ड का नाप मौके अनुसार होगा यादि कि दर्शाई गई नाप में कमी/ बढ़ोतरी हो सकती है।
9. अन्य शर्तें प्रपत्रानुसार एवं मण्डल नियमानुसार मान्य होगी।
10. नीलामी के सम्बन्ध में विस्तृत शर्तें एवं विवरण मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.com पर एवं निम्नलिखित कार्यालयों में देखी जा सकती है।

संपर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड............. फोनः .... फैक्स	उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त .... फोनः .... फैक्स ....

मोहरबन्द नीलामी के लिए मण्डल की वेबसाईट पर डालने हेतु प्रारूप

राजस्थान आवासन मण्डल

.... शहर की विभिन्न योजनाओं में
व्यावसायिक भू:खण्डों की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा

भव्य नीलामी

मोहरबन्द प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि	प्राप्त मोहरबन्द प्रस्तावों को खोलने की तिथि
दिनांक .... से .... तक (अपरान्ह .... बजे तक)	दिनांक .... (अपरान्ह .... बजे तक)

क्र. सं 1.	प्लॉट नं. 2	कॉर्नर / सामान्य 3	प्लाट साईज वर्ग मीटर 4	न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रति वर्ग मीटर 5
1.				
2.				
3.				

मोहरबन्द प्रस्ताव निविदादाता निम्न प्रारूप में आवासन मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें।

राजस्थान आवासन मण्डल,
(निविदा का निर्धारित प्रारूप)

स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित फोटो

निविदादाता का नाम ....
पिता/पति का नाम ....
पता (प्रमाण संलग्न करें) ....
पेन नम्बर ....दूरभाष नम्बर .... मो. नम्बर ....
योजना का नाम ....सैक्टर .... दुकान / भू:खण्ड संख्या ....
माप ....:......प्रस्तावित बोली रुपये .... अक्षरे रुपये ....
संलग्न राशि रुपये ....बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक ....
बैंक का नाम ....

हस्ताक्षर निविदादाता

लिफाफे पर लिखा जाने वाला विवरण

भूखण्ड का विवरण: योजना / सेक्टर .... दुकान/ भूखण्ड संख्या ...., निविदादाता का विवरण नाम .... पिता/ पति का नाम .... पता .... दूरभाष नम्बर .... मोबाईल नम्बर .... श्रेणी–सामान्य/ अनुसूचित जाति/ जनजाति .... संलग्न राशि रु .... बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... मुहरबन्द निविदा खोलने की निर्धारित तिथि ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

नीलामी की शर्ते

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता द्वारा 10.00 लाख रूपये तक के न्यूनतम विक्रय मूल्य पर अमानत राशि 10,000/– रूपये अथवा न्यूनतम विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो एवं रूपये 10.00 लाख से अधिक किन्तु 50. 00 लाख रूपये तक के विक्रय मूल्य तक 50,000/– रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। 50.00 लाख रूपये से ऊपर एक करोड़ तक के विक्रय मूल्य पर रु. 1.00 लाख रूपये अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। 1.00 करोड़ से ऊपर रु. 5.00 करोड़ तक के न्यूनतम विक्रय मूल्य पर रु. 15.00 लाख तथा रु. 5.00 करोड़ से ऊपर 10.00 करोड़ रुपए के विक्रय मूल्य पर 30.00 लाख रूपये एवं 10.00 करोड़ रूपये से ऊपर न्यूनतम विक्रय मूल्य पर 50.00 लाख रूपये अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। बिना अमानत राशि अथवा अपूर्ण अमानत राशि के प्रस्ताव निरस्तनीय होगे चाहे प्रस्तावित क्रय मूल्य अधिकतम ही क्यों न हो।
2. नीलामी राशि का 05 प्रतिशत मौके पर (अमानत राशि समायोजित करते हुए) 10 प्रतिशत राशि 24 घन्टे में, एक करोड़ से अधिक विक्रय मूल्य होने पर 72 घन्टे में, यदि अगले दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को एवं शेष राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से एक माह में जमा करानी होगी। तीस दिवस की निर्धारित अवधि तक समस्त बकाया राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में बोली की 15 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जायेगी एवं बोली निरस्तनीय होगी।
3. निर्धारित अवधि के बाद मुहरबन्द प्रस्ताव स्वीकार्य नही होगें।
4. सशर्त विक्रय प्रस्ताव सीधे ही निरस्त समझे जायेगें।
5. प्रस्तावकर्ता द्वारा दिये प्रस्ताव में अंकों व शब्दों में भरी राशि में अन्त होने पर शब्दों में लिखि राशि मान्य होगी।

6. किसी भी मोहरबंद प्रस्ताव/ सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताये स्वीकृति/ अस्वीकृति करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है। इस संबंध में कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
7. दुकान/ भू:खण्ड जहां है जैसा है आधार पर निस्तारित किए जावेगें।
8. भू:खण्ड का नाप मौके अनुसार होगा यादि कि दर्शाई गई नाप में कमी/ बढ़ोतरी हो सकती है।
9. अन्य शर्ते प्रपत्रानुसार एवं मण्डल नियमानुसार मान्य होगी।
10. नीलामी के सम्बन्ध में विस्तृत शर्ते एवं विवरण मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.com पर एवं निम्नलिखित कार्यालयों में देखी जा सकती है।

संपर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड............. .... फोनः .... फैक्स	उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त .... फोनः .... फैक्स ....

खुली बोली द्वारा नीलामी के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन एवं मण्डल की वेबसाईट पर डालने हेतु प्रारूप

राजस्थान आवासन मण्डल

.... शहर की विभिन्न योजनाओं में
व्यावसायिक भू:खण्डों की खुली बोली द्वारा

भव्य नीलामी

दिनांक .... समय .... स्थल ....

क्रं. सं 1.	प्लॉट नं. 2	कॉर्नर / सामान्य 3	प्लाट साईज वर्ग मीटर 4	न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रति वर्ग मीटर 5
1.				
2.				
3....				

<u>नीलामी की शर्ते</u>

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता द्वारा 10.00 लाख रूपये तक के न्यूनतम विक्रय मूल्य पर अमानत राशि 10,000/– रूपये अथवा न्यूनतम विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो एवं रूपये 10.00 लाख से अधिक किन्तु 50. 00 लाख रूपये तक के विक्रय मूल्य तक 50,000/– रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। 50.00 लाख रूपये से ऊपर एक करोड़ तक के विक्रय मूल्य पर रु. 1.00 लाख रूपये अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। 1.00 करोड़ से ऊपर रु. 5.00 करोड़ तक के न्यूनतम विक्रय मूल्य पर रु. 15.00 लाख तथा रु. 5.00 करोड़ से ऊपर 10.00 करोड़ रुपए के विक्रय मूल्य पर 30.00 लाख रूपये एवं 10.00 करोड़ रूपये से ऊपर न्यूनतम विक्रय मूल्य पर 50.00 लाख रूपये अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। बिना अमानत राशि अथवा अपूर्ण अमानत राशि के प्रस्ताव निरस्तनीय होगे चाहे प्रस्तावित क्रय मूल्य अधिकतम ही क्यों न हो।
2. नीलामी राशि का 05 प्रतिशत मौके पर (अमानत राशि समायोजित करते हुए) 10 प्रतिशत राशि 24 घन्टे में, एक करोड़ से अधिक विक्रय मूल्य होने पर 72 घन्टे में, यदि अगले दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को एवं शेष राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से एक माह में जमा करानी होगी। तीस दिवस की निर्धारित अवधि तक समस्त बकाया राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में बोली की 15 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जायेगी एवं बोली निरस्तनीय होगी।
3. बोलीदाता द्वारा दी गई बोली बिना कारण बताये स्वीकृति/ अस्वीकृति करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है। इस संबंध में कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

4. दुकान/ भू:खण्ड जहां है जैसा है आधार पर निस्तारित किए जावेगें।
5. भू:खण्ड का नाप मौके अनुसार होगा यादि कि दर्शाई गई नाप में कमी/बढ़ोतरी हो सकती है।
6. अन्य शर्तें प्रपत्रानुसार एवं मण्डल नियमानुसार मान्य होगी।
7. नीलामी के सम्बन्ध में विस्तृत शर्तें एवं विवरण मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.com पर एवं निम्नलिखित कार्यालयों में देखी जा सकती है।

संपर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड............ फोनः .... फैक्स	उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त .... फोनः .... फैक्स ....